न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजि0/सिविल जज सी.डि. बांदा
अंतिम रिपोर्ट वाद सं0–45/XII/ 2019
CNR no.UPBD05001769-2019

गजराज बनाम सुशील
अ0सं0–147/2018
धारा–363,366 भा0दं0सं0
थाना–बबेरू, जिला बांदा।

दिनांक–29.10.2021

आज पत्रावली पेश हुई। वादी मुकदमा गजराज प्रसाद मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदक/वादी मुकदमा गजराज प्रसाद पुत्र स्व0 जगदेव प्रसाद निवासी मुहल्ला श्रृंगार थोक कस्बा बबेरू, थाना बबेरू जिला बॉदा की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र इस आशय का दाखिल किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी वादी मुकदमा है और उसने दिनांक–17.3.2018 को अभियुक्त सुशील उर्फ रज्जू आदि के विरूद्ध थाना कोतवाली बबेरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई थी। अभियुक्त सुशील उर्फ रज्जू ने प्रार्थी की पुत्री ममता उर्फ गुड़िया से शादी करके दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करते हुये प्रकरण उपरोक्त का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर वाद का निस्तारण करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

आवेदक/वादी मुकदमा गजराज प्रसाद के हस्ताक्षर एंव फोटो को अधिवक्ता श्री रामपाल सिंह द्वारा तस्दीक किया गया है।

सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या इस आधार पर प्रेषित की गयी है कि ''अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयानात गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल व 161 दं0प्र0सं0, व 164 दं0प्र0सं0 के बयानों में पीड़िता ने अभियुक्त सुशील उर्फ रज्जू के साथ अपनी मर्जी से जाना बताया व शादी करना बताया है तथा इस संबंध में शपथ पत्र भी दिया है। अभियुक्त सुशील उर्फ रज्जू के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया एंव अभियुक्त संतोष पुत्र जोधा के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः उपरोक्त अभियोग में साक्ष्य के अभाव में जरिए अन्तिम रिपोर्ट सं. 36/18 माननीय न्यायालय प्रेषित की जाती है। अनुरोध है कि अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत करने की कृपा करें। '' विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या के समर्थन में वादी मुकदमा गजराज एंव पीड़िता ममता उर्फ गुड़िया द्वारा शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं।

इस संबंध में **मान्नीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था चितरंजन निरधा बनाम दुलाल घोष आदि एस.सी.सी.2009** में यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि जहॉ पर अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही अग्रसारित करने का पर्याप्त साक्ष्य पुलिस रिपोर्ट में नहीं है, वहॉ अंतिम आख्या स्वीकार की जा सकती है एंव कार्यवाही ड्राप की जा सकती है। यह भी मत प्रतिपादित किया गया है कि विवेचना के विवेचक द्वारा एकत्रित की गई साक्ष्य भी सर्वोत्तम होती है। उपरोक्त के अतिरिक्त **मान्नीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका सं.–2520/2012 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्णय दिनांकित 09.10.2013 में** मान्नीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अन्तिम आख्या का निस्तारण न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट आने के तीन माह के अन्दर हो जाना चाहिए।

मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी पत्र सं0–2981/FTC Cell/Allahabad, Dated 01-03-2013 01.03.2013 में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम आख्या के निस्तारण पर बल देते हुये न्यायालय में लम्बित अन्तिम आख्या को वरीयता के आधार पर शीघ्रता से निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं एंव मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन के आधार पर उक्त प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या में कोई त्रुटि न पाते हुए अन्तिम आख्या को स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

अपराध सं0–47/2018 अंतर्गत धारा–363, 366 भा0दं0सं0 थाना बबेरू जनपद बांदा के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात् पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांक–29.10.2021

(नदीम अनवर)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,/
सिविल जज सी.डि. बांदा।
जेओकोड यूपी2189